न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 47/2025 बउनवानी सत्यनारायण **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र रामप्रसाद माली निवासी रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 159

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.व. आदेश जो हुकम की तामील में जारी हुए
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*प्रार्थी की रिपोर्ट दिनांक 1.10.2019 को थानाधिकारी मानटाउन द्वारा सुरेशचन्द माली के विरूद्व प्रस्तुत इस्तागासा धारा 107,116 सीआरपीसी मे प्रस्तुत मुचलको सहित समस्त कार्यवाही की प्रमाणित सूचना*" उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2024/970 दिनांक 26.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.4.2025 मे चाही गयी सूचना न्यायालय के दस्तावेजो की है तथा न्यायालय के किसी भी दस्तावेज की सूचना के अधिकार के तहत प्रतिलिपि नही दे सकते है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 637 दिनांक 22.4.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसलिए उपलब्ध नही करवायी गयी है क्योकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना न्यायालय से संबंधित है, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह नही बताया कि किस नियम के तहत न्यायालय की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण अंकित किया गया है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार चाही गयी सूचना 7 दिवस मे नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:32:27 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner